न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2017RAAJu223RTA075 Jhumarram etc Vs Bhanwarlal etc

1. झूमरराम पुत्र कुन्नाराम मेघवाल
2. गोपाराम पुत्र मोतीराम मेघवाल
3. भंवरलाल पुत्र लादूराम मेघवाल
4. सुमेरराम पुत्र गोदाराम मेघवाल
5. पोकरराम पुत्र गीमाराम मेघवाल
6. लिखमाराम पुत्र नेतीराम मेघवाल
7. मांगीलाल पुत्र गीगाराम मेघवाल
8. नाथुराम पुत्र अणदाराम मेघवाल
9. मीठाराम पुत्र जालूराम मेघवाल

निवासीगण उदलियावास, तहसील बिलाडा
जितला जोधपुर (राज.)

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र जोगाराम कुम्हार
2. बालूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार
3. हापूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार
4. लालूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार
5. ढगलीदेवी पत्नी मांगाराम कुम्हार
6. मोहनराम पुत्र पूनाराम कुम्हार
7. जयराम पुत्र घीसाराम कुम्हार
8. भगवानराम पुत्र बाबूलाल कुम्हार
9. खाकीराम पुत्र बचनाराम कुम्हार
10. मंगलाराम पुत्र सूराराम कुम्हार
11. सोहनलाल पुत्र घेवरराम कुम्हार
12. गोपाराम पुत्र गुणाराम कुम्हार
13. दीपाराम पुत्र ढगलाराम कुम्हार
14. चिमनाराम पुत्र गुणाराम कुम्हार
15. भंवरलाल पुत्र रामचन्द कुम्हार
16. माडी पत्नी जोगाराम कुम्हार

निवासीगण उदलियावास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर (राजस्थान)

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा कैम्प कोर्ट उदलियावास दिनांक 02 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 63/2016 भंवरलाल व अन्य बनाम झूमरराम आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता एवं श्री अनिल प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 31 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा कैम्प कोर्ट उदलियावास द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2016 भंवरलाल व अन्य बनाम झूमरराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जून 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 सितम्बर 2017 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित आराजी खसरा संख्या 35 रकबा .04 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन बेरा तथा खसरा संख्या 37 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा चाही अव्वल बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश कर जाहिर किया कि पुरातन समय से आराजी खसरा संख्या 35 पर बेरा खुदा हुआ था, जो वर्ष 1979 की

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बाढ में ध्वस्त हो चुका है, खसरा संख्या 37 वादीगण-रेस्पो. की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का कभी कोई हक-हिस्सा अथवा कब्जा नहीं रहा है। मगर फिर भी अनावश्यक दखलंदाजी प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा की जाती है, अतः वाद स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 02 जून 2017 को जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण ने आलौच्य डिकी पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में गलत दर्ज की है, क्योंकि दिनांक 02 जून 2017 को राजस्व कैम्प में प्रकरण मुकर्रर किये जाने की कोई सूचना अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता को न तो दी गयी थी, न ही प्रतिवादीगण या उनके अधिवक्ता को कोई सूचना थी और न ही प्रतिवादीगण या उनके अधिवक्ता राजस्व कैम्प कोर्ट में इस प्रकरण की पैरवी हेतु उपस्थित हुए थे।

- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब मूल वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा पेश कर वादीगण-रेस्पो. के वाद का खण्डन किया गया, तो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार प्रकरण में दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट्स के अनुसार भी मौके पर मेघवाल समाज के श्मशान की पुरानी एवं ताजा कब्रे होना, श्मशान की धोराबन्दी व मेडबन्दी व फाटक - पिलर आदि व्यवस्थित रूप से होना प्रकट है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है।
- अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की गैर हाजरी में उनकी जानकारी के बिना कैम्प कोर्ट में पारित किये गये, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हो पायी। दिांक 06 सितम्बर 2017 को रेस्पो. द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की आड में श्मशान भूमि से बेदखल कर दिये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत भान हुआ, तब अधीनस्थ न्यायालय में समुचित जानकारी कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकल 07 सितम्बर 2017 को प्राप्त करने पर विधिवत अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी हुई, तब जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अदालत हाजा में पेश कर दी गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्पष्ट है कि लोक अदालत के लिए नोटिस जारी किये गये थे। यदि अधिवक्ता की उपस्थिति गलत अंकित गयी थी तो इस संबंध में अधिवक्ता का शपथपत्र पेश किया जाना चाहिये, मगर अपीलाण्ट्स द्वारा ऐसा कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा यह लिखा गया है कि मौका निरीक्षण में श्मशान भूमि मानी है, परन्तु अपीलाण्ट्स द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है कि मौका रिपोर्ट में श्मशान भूमि का क्षेत्रफल मात्र 0.16 बीघा दर्शाया गया है, जबकि वादीगण-रेस्पो. द्वारा अपनी ख़सरा संख्या 35 की भूमि का रकबा 04 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा एवं खसरा संख्या 37 का रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा चाही ग्राम उदलियावास राजस्व रिकार्ड के अनुसार बताया गया है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने विचाराधीन अपील मियाद-बाधित होना भी जाहिर किया और मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य बताते हुए अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि --

- आदेशिका दिनांक 11 जनवरी 2017 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक से दस का जबाबदावा पेश हो चुका था, प्रतिवादी संख्या चौदह सरकारी पैराकार द्वारा कोई जबाबदावा पेश नहीं करना चाहने पर जबाब का अवसर बंद किया गया, प्रतिवादी संख्या 13 पूसाराम का सम्मन तामील अथवा अदम तामील नहीं लौटने के कारण वकील वादीगण को प्रतिवादी संख्या 13 का सम्मन मय तलबाना पुनः पेश करने व पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश देते हुए आगामी तारीख पेशी 15 फरवरी 2017 मुकर्रर की गयी।
- उक्त आदेशिका की पालना हेतु 15 फरवरी 2017 से 2 मार्च 2017 व फिर 19 अप्रेल 2017 की तारीख-पेशियाँ तब्दील हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

- आदेशिका दिनांक 19 अप्रेल 2017 की आदेशिकानुसार मिसल पूर्व आज्ञा दिनांक 11.1.2017 की पालना इंतजार में पत्रावली आयन्दा दिनांक 13.06.2017 को पेश होने के आदेश दिये गये। इसके बाद बिना किसी आवेदन या अन्य किसी आधार के दिनांक 01 मई 2017 की रबर-स्टाम्प मुद्रित आदेशिका है, जिसके जरिये पत्रावली 02.06. 2017 को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र उदलियावास वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय पेश हो। तदनुसार सभी पक्षकारों को नोटिस जारी हो। **मगर उक्त आदेशिका की अनुपालना में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है।** अगली आदेशिका 02.06.2017 की है, जिसके अनुसार पत्रावली बमुकाम उदलियावास राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में पेश होना, वादी भंवरलाल, लालूराम, मोवनराम, जयराम, भगवानराम व खाकीराम एवं वादीगण के अधिवक्ता श्री डी.डी.रामावत व प्रतिवादीगण संख्या एक से दस तक की ओर से श्री नारायणसिंह राठौड एडवोकेट की उपस्थिति दर्ज है। वाद में प्रतिवादीगण संख्या एक से दस तक के जबाब पेश होने तथा वादी-पक्ष द्वारा कोई अन्य गवाह-सबूत पेश नहीं किये जाने की मंशा वर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।
- जब प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था, तो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विधिवत तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सबूत के बिना ही सीधे बहस सुनी जाना अंकित करते हुए पारित अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाये जाते है।

- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रतिवादी संख्या 13 की तलबी हेतु चल रहा था, ऐसी स्थिति में सीधे उसमें बहस समायत कर निर्णय किस आधार पर पारित किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

- इस प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14 दिसम्बर 2016 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, उसमें साफ तौर पर खसरा संख्या 37 में मौके पर 0.16 बीघा पर मेघवाल समाज का श्मशान होना, श्मशान में ताजा एवं पुरानी कब्रे, श्मशान की फाटक, चारदीवारी आदि होना, 0.2 बीघा भूमि उक्त श्मशान तक आवागमन के रास्ते हेतु प्रयुक्त है। इससे साबित होता है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 37 में अपीलाण्ट्स पक्ष का 18 बिस्वा भूमि पर परम्परागत श्मशान एवं रास्ते में अनवरत दखल है। इन्हें बेदखल किये बिना स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत नहीं है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए खसरा संख्या 35 रकबा 0.4 बीघा एवं खसरा संख्या 37 रकबा 4.15 बीघा सम्पूर्ण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो सही नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री इस प्रकार संशोधित किये जाते है कि "वाद वादीगण-रेस्पो. आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से दस को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण-रेस्पो. की ग्राम उदलियावास स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 0.4 बीघा एवं खसरा संख्या 37 रकबा 4.15 बीघा में पटवारी हळका उदलियावास तथा भू. अ.निरीक्षक खारिया मीठापुर के हमराह नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को मौका निरीक्षण कर बनाई गयी फर्द मौका निरीक्षण व उसके संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित **खसरा संख्या 39 की माठ से श्मशान भूमि तक** जाने के लिए करीब **2 गट्ठें चौडे रास्ते** का **रकबा 0.2 बीघा व खसरा संख्या 37 में स्थित श्मशान भूमि रकबा 0.16 बीघा कुल 0.18 बीघा के अतिरिक्त अन्यत्र भूमि पर न तो वादीगण-रेस्पो. के कब्जा-काश्त में कोई दखलदांजी स्वयं करें अथवा अपने किसी प्रतिनिधि से करावें और न ही कोई निर्माण कार्य स्वयं करें** अथवा अपने अपने प्रतिनिधि से करावें।" खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
1. झूमरराम पुत्र कुन्नाराम मेघवाल 2. गोपाराम पुत्र मोतीराम मेघवाल 3. भंवरलाल पुत्र लादूराम मेघवाल 4. सुमेरराम पुत्र गोदाराम मेघवाल 5. पोकरराम पुत्र गीमाराम मेघवाल 6. लिखमाराम पुत्र नेतीराम मेघवाल 7. मांगीलाल पुत्र गीगाराम मेघवाल 8. नाथुराम पुत्र अणदाराम मेघवाल 9. मीठाराम पुत्र जालूराम मेघवाल निवासीगण उदलियावास, तहसील बिलाडा जितला जोधपुर (राज.)	ब ना म	1. भंवरलाल पुत्र जोगाराम कुम्हार 2. बालूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार 3. हापूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार 4. लालूराम पुत्र मांगाराम कुम्हार 5. ढगलीदेवी पत्नी मांगाराम कुम्हार 6. मोहनराम पुत्र पूनाराम कुम्हार 7. जयराम पुत्र घीसाराम कुम्हार 8. भगवानराम पुत्र बाबूलाल कुम्हार 9. खाकीराम पुत्र बचनाराम कुम्हार 10. मंगलाराम पुत्र सूराराम कुम्हार 11. सोहनलाल पुत्र घेवरराम कुम्हार 12. गोपाराम पुत्र गुणाराम कुम्हार 13. दीपाराम पुत्र ढगलाराम कुम्हार 14. चिमनाराम पुत्र गुणाराम कुम्हार 15. भंवरलाल पुत्र रामचन्द कुम्हार 16. माडी पत्नी जोगाराम कुम्हार निवासीगण उदलियावास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा कैम्प कोर्ट उदलियावास दिनांक 02 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 63/2016 भंवरलाल व अन्य बनाम झूमरराम आदि

----- 0 -----

यह अपील बतारीख 31 दिसम्बर, 2019 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री गोपालसिंह राजपुरोहित एवं श्री अनिल प्रजापत अधिवक्तागण मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री इस प्रकार संशोधित किये जाते है कि "वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण-रेस्पो. आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से दस को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण-रेस्पो. की ग्राम उदलियावास स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 0.4 बीघा एवं खसरा संख्या 37 रकबा 4.15 बीघा में पटवारी हळका उदलियावास तथा भू.अ.निरीक्षक खारिया मीठापुर के हमराह नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को मौका निरीक्षण कर बनाई गयी फर्द मौका निरीक्षण व उसके संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित **खसरा संख्या 39 की माठ से श्मशान भूमि तक** जाने के लिए करीब **2 गठ्ठे चौडे रास्ते का रकबा 0.2 बीघा व खसरा संख्या 37 में स्थित श्मशान भूमि रकबा 0.16 बीघा कुल 0.18 बीघा के अतिरिक्त अन्यत्र भूमि पर न तो वादीगण-रेस्पो. के कब्जा-काश्त में कोई दखलदांजी स्वयं करें अथवा अपने किसी प्रतिनिधि से करावें और न ही कोई निर्माण कार्य स्वयं करें** अथवा अपने अपने प्रतिनिधि से करावें।" खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ------ शून्य -------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---- शून्य ------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख़ 31 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

31/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

31/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर